सत्यमेव जयते

संख्या– 5 /जी0एस0/शिक्षा/A4-2-1/2017

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 21 अगस्त, 2017

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के पत्रांक–28385 दिनांक 21–10–2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय–5 की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ–2 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है:–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीट)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहस्त्रधारा रोड, नियर–आई0टी0 पार्क, देहरादून	बी0फार्मेसी	60	शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु
	एम0फार्मा0:–		
	1. फार्मास्यूटिकल कैमेस्ट्री	18	
	2. फार्माकोलोजी	18	

1. संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशो का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्व तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः......2/--